

IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET

जमाबंदी सुधार रिविजन वाद सं०-०४/२०१४

बालदेव यादव वगै०

बनाम

मुसाहेब यादव वगै०

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.05.2016	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद बालदेव यादव पिता-स्व० डीमन यादव एवं अन्य साकिन-सलैया थाना-झाझा जिला-जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह पुनरीक्षण वाद बालदेव यादव एवं अन्य ने निम्न न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं०-४७/१३-१४ हृदय नारायण यादव बनाम मोसाहेब यादव वगैरह में पारित आदेश दिनांक १०.०६.२०१४ के विरुद्ध लाया है।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह विवाद खाता सं०-१०१ खेसरा सं०-६२७ रकवा- $32\frac{1}{3}$ डी० जमीन जो ग्राम-धमना में अवस्थित है को लेकर है। खाता सं०-१०१ की जमीन खतियानी जमीन है जो गोविन्द मोदी एवं गाजो मोदी पेसरान-हारो मोदी एवं अन्य के नाम से दर्ज है। गोविन्द मोदी एवं गाजो मोदी ने १५.०९.१९५४ को अन्य जमीन के साथ खाता सं०-१०१ खेसरा सं०-६२७ रकवा- $32\frac{1}{3}$ डी० जमीन निबंधित केवाला के द्वारा बिछो गोप को बेच दिया। बिछो गोप का इस जमीन पर हक अधिकार एवं दखल कब्जा हुआ। बिछो गोप ने दिनांक ०५.०४.१९५७ को खाता सं०-१०१ खेसरा सं०-६२७ रकवा- $32\frac{1}{3}$ डी० जमीन हुरो साहु कान्दु को निबंधित केवाला के द्वारा बेच दिया। हुरो साहु कान्दु का इस जमीन पर दखल कब्जा हुआ और हुरो साह के नाम से दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी सं०-१७१ कायम किया गया और मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। हुरो साह ने पुनः खाता सं०-१०१ खेसरा सं०-६२७ का $16\frac{1}{4}$ डी० जमीन जमुना मोदी एवं छोटु मोदी पेसरान-अमृत मोदी से खरीदा। हुरो साह के नाम से जमाबंदी कायम किया गया तथा मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। इस तरह से हुरो साह ने बिछो गोप से $32\frac{1}{3}$ डी० जमीन एवं जमुना मोदी तथा छोटु मोदी से $16\frac{1}{4}$ डी० जमीन खरीदा। हुरो साहु कान्दु ने दिनांक ०५.०२.१९९१ को खाता सं०-१०१ खेसरा सं०-६२७ रकवा-२५ डी० जमीन बालदेव यादव पे०-डोमन यादव को निबंधित केवाला के द्वारा बेच दिया। हुरो साहु कान्दु ने दिनांक ०५.०२.१९९१ को अन्य जमीन के साथ खाता सं०-१०१ खेसरा सं०-६२७</p>	

रकवा- $14\frac{5}{6}$ डी0 जमीन हृदय नारायण यादव एवं पारो यादव पेसरान-डीमन यादव को निबंधित केवाला के द्वारा बेच दिया। इस तरह से बालदेव यादव, हृदय नारायण यादव एवं पारो यादव का कुल- $39\frac{5}{6}$ डी0 जमीन पर हक अधिकार एवं दखल कब्जा कायम हुआ। हृदय नारायण यादव वगै0 ने उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद सं0-47/13-14 हृदय नारायण यादव बनाम मोसाहेब यादव वगै0 दायर किया जिसमें उप समाहर्ता भूमि सुधार के द्वारा अंचल अधिकारी, झांझा से दखल कब्जा के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच में पुनरीक्षणकर्ता का दखल कब्जा पाया गया और अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जमाबंदी सं0-705 हृदय नारायण व पारो यादव के नाम से कायम किया है। Mutation Law के Section 55 के अनुसार राजस्व न्यायालय को दाखिल खारिज के मामले में सबसे पहले दखल कब्जा देखना है और इस मामले में राजस्व पदाधिकारियों के जाँच में प्रश्नगत जमीन पर पुनरीक्षणकर्ता का दखल कब्जा पाया गया है। ऐसे में हृदय नारायण यादव एवं बालदेव यादव की जमाबंदी सं0-705 को Disturb नहीं किया जाना चाहिए था। इनका केवाला भी वैध है। परन्तु उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। हुरो साह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र से विपक्षी ने साँठ-गाँठ कर गलत शपथ-पत्र समर्पित करवाया। जमाबंदी सुधार वाद सं0-06/11-12 के माध्यम से उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई ने जमाबंदी सं0-171 से हुरो साह का नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया गया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि क्रेता को नोटिस नहीं दिया गया था और हुरो साह ने इस जमीन को दिनांक 05.04.1957 को बिछो गोप से निबंधित केवाला के द्वारा खरीदा था और उस केवाला को अबतक Challenge या Cancel नहीं किया गया है। विपक्षी के द्वारा दिनांक 15.09.1959 के केवाला के आधार पर दावा किया गया है जो गलत है और प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी को हक अधिकार एवं दखल कब्जा नहीं है। जमाबंदी सुधार वाद सं0-47/13-14 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों का परिशीलन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है, जो गलत है। अतः जमाबंदी सुधार वाद सं0-47/13-14 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 10.06.14 को निरस्त किया जाय और पुनरीक्षणकर्ता के केवाला एवं जाँच प्रतिवेदन जिसमें हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक ने पुनरीक्षणकर्ता का दखल कब्जा पाया के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में दाखिल खारिज करने तथा मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, झांझा को आदेश दिया जाय।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद चलने लायक नहीं है और कालबाधित है। मौजा-तेलियाडीह के खाता सं0-101 खेसरा सं0-627 रकवा- $32\frac{1}{3}$ डी0 जमीन रैयती जमीन है जिसे विपक्षी के पूर्वज बिछो गोप ने दिनांक 15.09.1954 को गाजो मोदी से निबंधित

केवाला के द्वारा खरीदा था। खरीदने के बाद बिछो गोप खरीदगी जमीन पर दखलकार हुए एवं बिछो गोप के नाम से जमाबंदी सं०-171 कायम किया गया तथा मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। बिछो गोप ने दिनांक 05.04.1957 को हुरो साहु कान्दु के पक्ष में कोई केवाला नहीं लिखा था। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यदि कोई केवाला दाखिल किया जाता है, तो वह जाली है और उस पर बिछो गोप का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है। हुरो साह के पक्ष में दाखिल खारिज का कभी कोई आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा नहीं दिया गया है। इस जमीन पर बिछो गोप का दखल कब्जा था और बिछो गोप के बाद उत्तराधिकारी के रूप में विपक्षियों का दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन से हुरो साहु कान्दु या उनके बाल-बच्चों का कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा है। पुनरीक्षणकर्ता ने हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर बिछो गोप के नाम से चल रही जमाबंदी सं०-171 में हुरो साह का नाम दर्ज करवा लिया। इसकी जानकारी होने के बाद विपक्षी ने उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद सं०-06/11-12 बहादुर यादव बनाम छेदी राम दायर किया जिसमें हुरो साहु कान्दु के पुत्र छेदी राम न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ-पत्र समर्पित किया और कहा कि इस खेसरे की जमीन से उन्हें या उनके पिता को कोई वास्ता सरोकार या दखल कभी नहीं रहा। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा इस वाद में दिनांक 22.07.2011 को आदेश पारित किया गया जिसमें जमाबंदी सं०-171 से हुरो साह का नाम विलोपित करते हुए बहादुर यादव वो मुसाहेब यादव पे०-स्व० बिछो यादव का नाम दर्ज करने की अंचल अधिकारी की अनुशंसा को स्वीकार किया गया। जमाबंदी सुधार वाद सं०-06/11-12 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरुद्ध कोई अपील या रिविजन दायर नहीं किया गया। वर्ष 2013 में पुनरीक्षणकर्ता ने गलत तथ्यों के आधार पर उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद सं०-47/13-14 दायर किया जिसमें पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कहा गया कि खाता सं०-101 खेसरा सं०-627 रकवा-25 डी० एवं $14\frac{5}{6}$ डी० जमीन हुरो साह से खरीदा, जो गलत है। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा सभी तथ्यों का परिशीलन कर दिनांक 10.06.2014 को आदेश पारित किया जो विधि-सम्मत है। इस आदेश में न तो केवाला को रद्द किया गया है और न ही जमाबंदी कायम किया गया है। केवल Observation दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता को दाखिल खारिज का वाद दायर करना चाहिए था न कि जमाबंदी सुधार का। अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 10.06.2014 विधि-सम्मत है इसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाय।

3. पुनरीक्षणकर्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:-

1. न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं०-06/11-12 के आदेश दिनांक 22.07.2011 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

2. न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी

सुधार वाद सं०-47/13-14 के आदेश दिनांक 10.06.2014 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

3. उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के ज्ञापांक-1298 दिनांक 05.08.2013 के संदर्भ में हल्का कर्मचारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि,

4. गोविन्द मोदी एवं अन्य के द्वारा बिछो गोप को किये गये केवाला दिनांक 15.09.1954 की छायाप्रति,

5. बिछो गोप के द्वारा हुरो साहु कान्दु को किये गये केवाला दिनांक 05.04.1957 की छायाप्रति

6. हुरो साह कान्दु के द्वारा बालदेव यादव को किये गये केवाला दिनांक 05.02.1991 की छायाप्रति,

7. हुरो साह कान्दु के द्वारा हृदय नारायण यादव एवं अन्य को किये गये केवाला दिनांक 05.02.1991 की छायाप्रति,

8. होल्डिंग नं०-171 के पंजी-II के नकल की छायाप्रति,

9. जमुना मोदी एवं अन्य के द्वारा हुरो साहु कान्दु का किये गये केवाला दिनांक 07.05.1957 की छायाप्रति,

10. मालगुजारी रसीद सं०-485786, 485784 की छायाप्रति,

11. 1990 BBCJ पेज 502 से 505 की छायाप्रति,

12. Transfer of Property Act की धारा-48 के Ruling की छायाप्रति,

13. खाता सं०-101 के खतियान के नकल की छायाप्रति।

4. विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:-

1. न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं०-47/13-14 के आदेश दिनांक 10.06.2014 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

2. गोविन्द मोदी एवं अन्य के द्वारा बिछो गोप को किये गये केवाला दिनांक 15.09.1954 की छायाप्रति,

3. न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं०-06/11-12 के आदेश दिनांक 22.07.2011 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

4. मालगुजारी रसीद सं०-822225, 431801, 00014525, 00757520, 832266, 553112 की छायाप्रति,

5. होल्डिंग नं०-171 के पंजी-II के नकल की छायाप्रति,

6. वहादूर यादव के नाम से निर्गत L.P.C. दिनांक 13.08.13 की छायाप्रति,

7. खाता सं०-101 के खतियान के नकल की छायाप्रति।

5. इस वाद का आधार पुनरीक्षणकर्ता ने यह बनाया है कि उन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। वहीं आवेदन में उन्होंने यह भी लिखा है कि विपक्षी वर्ष 1959 के केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा करते हैं, जबकि हमने जिनसे कय किया है उनका केवाला 1957 का है। इसलिए विपक्षियों का कोई स्वत्व अधिकार एवं दखल कब्जा प्रश्नगत भूमि पर नहीं


है। उन्होंने कहा है कि उप समाहर्ता भूमि सुधार को केवाला कैंसिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।


निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल हृदय नारायण यादव एवं बालदेव यादव के आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन में अपीलार्थी ने जमाबंदी सुधार की प्रार्थना किया है एवं जमाबंदी सं०-171 को रद्द करने का अनुतोष मांगा है। आवेदन पर अंकित भूमि की विवरणी आधी अधूरी दी हुई है और आवेदन पर किसी भी अधिवक्ता का हस्ताक्षर नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय को अपील आवेदन के आधार पर वाद प्रारम्भ ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह आवेदन बिना विषय वस्तु के पूर्ण विवरण के है और किसी अधिवक्ता का भी हस्ताक्षर उसपर अंकित नहीं है, साथ ही उस आवेदन पर अंकित अनुतोष भी निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसी मंतव्य के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता,
जमुई।


समाहर्ता,
जमुई।